भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5686** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों पर प्रदूषण

†5686. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रमुख पत्तनों और विशेषकर विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) और गंगावरम पत्तन पर कोयला धूल और जल प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है, साथ ही पर्यावरण संरक्षा में सुधार के उद्देश्य से हाल ही में की गई विशिष्ट पहल क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों और विशेषकर वीपीटी और गंगावरम पत्तन द्वारा स्थानीय वायु प्रदूषण में होने वाली वृद्धि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों संबंधी कोई प्रभाव आकलन अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ट्रकों या रेल बोगियों में परिवहन के दौरान सामग्री को उचित रूप से ढकने के लिए पत्तनों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली जांच - सूचियों और प्रक्रियाओं का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) इन नयाचारों का प्रभावी रूप से पालन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पर्यावरण पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए पारंपरिक तिरपाल विधियों से परे कार्गो स्टैक को ढकने के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों का समन्वेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) सहित सभी महापत्तनों में नियमित रूप से वायु एवं जल गुणवत्ता की निगरानी करते है तथा

पर्यावरण संबंधी लेखापरीक्षा आयोजित करते है। सभी महापत्तनों को मारपोल कन्वेंशन का अनुपालन करना अनिवार्य है और पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

पर्यावरण संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सभी महापत्तनों पर यांत्रिकृत कार्गो प्रचालन, ट्रक-माउंटेड मिस्ट फोगिंग कैनन, ट्रोली माउंटेड फॉग कैनन, ऊंची दीवारें, वील वॉशिंग सिस्टम, ढके भंडारण शेड, सीवेज शोधन संयत्र, फ्लोटिंग ट्रैप तथा ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण आदि जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

(ख): जी हां, विभिन्न महापत्तन नियमित रूप से प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित करते हैं। विशेषरूप से, वीपीए ने वायु प्रदूषण और स्रोत प्रभाजन अध्ययन किया है, जो 6 बर्थों के आधुनिकीकरण तथा विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण हेतु एक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) है।

(ग) और (घ): वीपीए सहित सभी महापत्तनों के पास ट्रकों और वैगनों द्वारा कार्गो ले जाने के लिए स्वयं का मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) मौजूद है। कार्गो की लोडिंग, कवरिंग और परिवहन सहित इन एसओपी का, सभी हितधारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

(ङ): जी हां। सभी महापत्तन, पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु उन्नत डस्ट सस्पेंशन तकनीक, स्वचलित वॉटर स्प्रिंकल प्रणालियों, ढके शेड का निर्माण आदि जैसी उन्नत तकनीकी की खोज कर रहे हैं।

*****